मध्यप्रदेश शासन

<u>सूचना प्रौद्योगिकी विभाग</u>

<u>:: आदेश ::</u>

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2008

कमांक एफ 8–1/2006/56 : राज्य शासन द्वारा प्रदेश के 9232 ग्रामों में स्थापित किये जा रहे कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना संबंधी परियोजना के कियान्वयन के लिए निम्न निर्णय लिये जाते है:–

1. प्रदेश के संभागों में निम्नानुसार कंपनियों द्वारा दी गई दर का अनुमोदन किया जाता है :–

अनु.क	संभाग का नाम	कंपनी का नाम
	चम्बल	आईसेक्ट
2	ग्वालियर	सी.एम.एस.कम्प्यूटर
3	उज्जैन	एन.आई.सी.टी.
4	इन्दौर	एन.आई.सी.टी.
5	भोपाल	सी.एम.एस.कम्प्यूटर
6	होशंगाबाद	थ्री.आई.इन्फोटेक
7	सागर	आईसेक्ट
8	जबलपुर	रिलायंस कम्युनिकेशन
9	रीवा	आईसेक्ट

2. कॉमन सर्विस सेन्टर पंचायत भवन में खोला जा सकेगा। भवन में स्थान दिये जाने के एवज में किराये की दर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तय की जाए। इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पंचायत विभाग से समन्वय स्थापित कर आदेश जारी करायेगा ।

3 मध्यप्रदेश सरकार एवं टी.सी.एस. के मध्य स्थापित संयुक्त उपकम एम.पी. ऑनलाईन को कॉमन सर्विस सेन्टर के साथ में जोड़ा जाएगा । एम.पी. ऑनलाईन ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता अनुसार सेवाओं का विकास करेगा । डेटा एम.पी. ऑनलाईन के सर्वर पर रखा जाएगा एवं इसकी सुरक्षा एवं ऑथेंटिकेशन की जिम्मेदारी एम.पी. ऑनलाईन की होगी । इसके लिए सर्व प्रथम खसरे की नकल एम.पी. ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी । प्रति माह इस डेटा का अपडेशन जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाएगा । डेटा के प्रमाणीकरण के लिए एम.पी. ऑनलाईन द्वारा सभी कलेक्टरों को डिजीटल हस्ताक्षर उपलब्ध कराया जाएगा । यह प्रमाणिक दस्तावेज कियोस्क के माध्यम से नागरिकों को प्रदान किया जाएगा ।

विभागो द्वारा आवश्यकता अनुसार कॉमन सर्विस सेन्टर पर निम्नानुसार कार्य दिया जा सकेगा

कॉमन सर्विस सन्टर के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जा सकेंगे

प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) एव सर्वे के लिए विभाग कॉमन सर्विस सेन्टर का उपयोग कर सकेंगे

नागरिक सेवाओ को सी एस सी के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए कृषि, पचायत ग्रामीण विकास, आदिम जाति कल्याण लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण पशुपालन एव वन विभाग द्वारा ठोस प्रयास किए जाएगे

सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में एम पी ऑनलाईन की सेवाओ की दरों के निर्धारण के लिए गठित समिति कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की दरों का भी निर्धारण करेगी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार

(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक एफ 8–1/2006/56 भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2008

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव,/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ विधि एवं विधायी कार्य विभाग/ वित्त विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग/ राजस्व विभाग/ कृषि विभाग/ पशुपालन विभाग/ वन विभाग/ योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
भोपाल।

2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल।

3 श्री बृजेश व्यास, वाणिज्य प्रमुख, एमपी ऑन लाईन लिमिटेड,भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग